आम जनता रामड़ी द्वारा :–

1– हीरालाल पुत्र नाथूलाल 2– केदारलाल पुत्र दयाचन्द्र
3– भैरूलाल पुत्र प्रहलाद 4– हनुमान पुत्र मोजीराम
5– सीताराम पुत्र सुआलाल 6– रामफूल पुत्र रामनिवास
समस्त जातियान मीना निवासीयान ग्राम रामड़ी तहसील व
जिला सवाई माधोपुर ———प्रार्थी

बनाम

1– राजेन्द्र पुत्र गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी आकाशवाणी के पीछे विराट नगर मानटाउन सवाई माधोपुर
2– राधेश्याम 3– कैलाश नाथ पिसरान बदरीलाल निवासी पुरानी सब्जी शहर, सवाई माधोपुर
4– शम्भूदयाल पुत्र श्री बदरीलाल निवासी ग्राम हलोन्दा पो0 दुमोदा तह/जिला सवाई माधोपुर
5– रमेशचन्द्र पुत्र श्री बदरीलाल निवासी पुरानी सब्जी मण्डी शहर सवाई माधोपुर
6– सुरेशचन्द्र पुत्र बद्रीलाल नि0 पुरानी सब्जी मण्डी शहर सवाई माधोपुर (लाओलाद फौत)
7– मोहनलाल 8– जगदीश 9– पुरूषोत्तम पिसरान केदार जाति ब्राहम्मण निवासी मेहरा पाडा रामपुरा कोटा (राजस्थान)
10– मु0 शान्ति बेवा केदार जाति ब्राहम्मण निवासी मेहरापाडा रामपुरा तहसील व जिला कोटा (राजस्थान)
11– लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर (राजस्थान) ——अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र धारा 82 आर.एल.आर.एक्ट,1956

निर्णय दिनांक–08/12/16

आम जनता रामड़ी की ने यह प्रकरण राजस्थान भ–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रामड़ी में माफी मंदिर गोपालजी वाके ग्राम रामड़ी सवाई माधोपुर पुजारी धांसीलाल पुत्र कल्याण जाति ब्राहम्मण सवाई माधोपुर के कब्जे काश्त की भूमि आराजी खं0नं0 351 रकबा 7 बिस्वा , खं0नं0 353 रकबा 5 बिस्वा, खं0नं0 360 रकबा 10 बिस्वा, खं0नं0 348 रकबा 11 बिस्वा, खं0नं0 389 रकबा 1 बिधा 9 बिस्बा, खं0नं0 356 रकबा 1 बिधा 6 बिस्बा , खं0नं0 357 रकबा 1 बिधा 11 बिस्वा, खं0नं0 358 रकबा 1 बिधा 9 बिस्बा, खं0नं0 359 रकबा 7 बिस्वा, खं0नं0 350 रकबा 13 बिधा 15 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 23 बिधा 6 बिस्बा थी। उक्त भूमि के नये खं0नं0 782 रकबा 0.25 ऐयर, खं0नं0 783 रकबा 0.09 ऐयर , खं0नं0 785 रकबा 0.07 गै0मु0चाह , खं0नं0 786 रकबा 0.06 ऐयर, खं0नं0 854 रकबा 0.36 ऐयर, खं0नं0 855 रकबा 0.34 ऐयर, खं0नं0 856 रकबा 0.09 ऐयर, खं0नं0 857 रकबा 0.06 ऐयर, खं0नं0 858 रकबा 0.37 ऐयर, खं0नं0 859 रकबा 0.39 ऐयर, खं0नं0 877 रकबा 0.10 ऐयर, खं0नं0 878 रकबा 0.23 ऐयर, खं0नं0 263 रकबा 0.10 ऐयर, खं0नं0 264 रकबा 3.38 ऐयर , ग्राम रामड़ी में स्थित है,उक्त भूमि को बिना कोई आदेश के मन्दिर माफी गोपाल जी का नाम हजफ करके पुराजी के वारिसान के नाम बिना नियम के अवैधानिक रूप से खातेदारी का अंकन कर दिया जिसका की पटवारी को कोई अधिकार नहीं था, जिसके विरूद्ध आम जनता रामड़ी की तरफ से यह रेफरेन्स पेश की जा रही है।

18/18

रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई अप्रार्थीगण 2 लगायत 10 वादतामील अनु0 उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । अप्रार्थीगण 1 स्वयं उपस्थित अप्रार्थीगण 11 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित , तद्उपरान्त उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यो का वर्णन करते हुए बहस मे तर्क दिया कि उक्त वाद आराजीयात पर मन्दिर मूर्ति गोपालजी सेवा पूजा के लिए पुजारी नियुक्त कर रखा था, जिन्होने राजस्व कर्मचारी/अधिकारियों से मिलिभगत करके मन्दिर मूर्ति गोपाल का नाम हटाकार पुजारी के वारिसान द्वारा स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज करवा ली। मंदिर मूर्ति की कृषि भूमि नियमानुसार कभी भी पुजारी की व्यक्तिगत खातेदारी में अंकित नहीं हो सकती है। अतः रेफरेन्स स्वीकार कर उक्त वाद आराजीयात भूमि खातेदारों के नाम हटाकर मन्दिर मूर्ति गोपालजी रामड़ी के नाम दर्ज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित करने का श्रम करे। प्रार्थीगण वकील ने आरआरटी 2013(2) नजीरे पेश की है।

अप्रार्थीगण के वकील ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त रेफरेन्स आम जनता द्वारा पेश किया गया है। जबकि आम जनता को इस न्यायालय में रेफरेन्स पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। रेफरेन्स पेश करने का अधिकार लेण्ड होल्डर तहसीलदार को है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने,मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर मै निष्कर्ष पर पहुचा हुं कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 में रैफरेन्स के लैण्ड होल्डर तहसीलदार ही रेफरेन्स पे़श करने हेतु सक्षम है। यदि आम जन को कोई चाराजोरी करनी है तो वह न्यायालय उपखण्ड में अपनी चाराजोरी करे। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरे से मै सहमत नहीं हू।

अतः हमारे विनम् अभिमत में रेफरेन्स खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08/12/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर